

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

11/2/17

प्रमुख न्याय लेखक अशोक
प्र. प्र.
अध्यापक एवं उपाध्यक्ष
हयग्रीव को दे प्रमुख न्याय लेखक
अशोक म. उपाध्यक्ष 7/1/17 (अध्यापक)
प्रमुख प्रदीप अशोक 4/1/17
20/2/17 अशोक 2/17

पी. सी. आय

सदस्य

हि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण
गोहद जिला-मिण्ड (म. प्र.)

20/2/17

आवेदक सहित श्री सुनील कांकर उपस्थित।
प्रकरण आवेदनपत्र पर तर्क/विचार हेतु नियत है।
मूल अभिलेखा व नायब नाजिर गोहद से प्रतिवेदन पूर्व में
ही प्राप्त।

आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील कांकर व बीमा कम्पनी श्री
आर.सी. गुप्ता को अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। बीमा
कम्पनी के अधिवक्ता को अवार्ड राशि के भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा
होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अना.कं.- 3 बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय में
उपस्थित अवार्ड राशि के संबंध में अपील प्रस्तुत की जिसमें बीमा कम्पनी द्वारा
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अवार्ड राशि में से
5000/- (पांच हजार रुपये) रुपये जरिये चैक जमा किया गया। जो इस
न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.-08/16 दिनांक 22-06-16 को नज़रत
अनुभाग गोहद भेजा गया जो नज़रत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 05/16
दिनांक 23-06-16 पर जमा होकर शेष है।

इस न्यायालय द्वारा अवार्ड पारित प्र.कं.-08/14 पलेस
धर्मेश कुशवाह - मनोज कुमार आदि खा.कं.- 12-02-16 का अवलोकन
किया, जिससे दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा आवेदक को क्षतिपूर्ति
राशि कुल-10000/- रुपये उस पर छ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसे आवेदक को एकमुश्त राष्ट्रीयकृत बैंक में
बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान किये जाने का आदेश है।

अना.कं.-03 बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय के
आदेश के पालन में जमा सुदा अवार्ड राशि 5000/- रुपये में से अवार्ड
दिनांक 12-02-16 के अनुसार आवेदक धर्मेश को 5000/- रुपये
राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से नगद भुगतान किया जाये।


5000/- अ. कावाकर
जुमा किरा

असिस्टेंट
जुमा किरा
असिस्टेंट
जुमा किरा

2/17

Order Sheet [Contd]

Case No. 1000 34/16 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Residing Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अतः आदेश के पालन में धर्मत कुशवाह पुत्र हरनम कुशवाह निवासी ग्राम व पोस्टर अमायन धाना अमायन जिला भिण्ड 5000/- (पांच हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से नगद भुगतान किया जाये। आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफाउंड वातुचर तैयार कर नायब नाजिर गौडत की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जाये।</p> <p>प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जाये।</p> <p style="text-align: center;">  पी. सी. आर्य सदस्य द्वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण गौडत जिला-भिण्ड (म.प्र.) </p>	